

प्रेषक,

महानिदेशक  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

1. महानिदेशक  
परिवार कल्याण, 30प्र0।
2. महानिदेशक  
चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 30प्र0।
3. महानिदेशक  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तरांचल राज्य देहरादून।
4. निदेशक, रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा।
5. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
6. निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सीतापुर रोड लखनऊ।
7. निदेशक, मेडिकल यूनिवर्सिटी एण्ड एसोसिएट हास्पिटल ग्रेटर नोएडा।
8. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त निदेशक/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक  
मुख्यालय/ / मण्डलीय/ जिला व अन्य चिकित्सालय 30प्र0।
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0।
12. अपर निदेशक  
मलेरिया, जवाहर भवन लखनऊ एवं राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ।
13. महानिरीक्षक, मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, 30प्र0।
14. समस्त प्रधानाचार्य  
राजकीय मेडिकल कालेज, (एलोपैथी) 30प्र0।
15. समस्त प्रधानाचार्य,  
संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रशिक्षण केन्द्र, 30प्र0।
16. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, 30प्र0।
17. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ अधीक्षिका  
जिला चिकित्सालय (पुरुष/महिला), 30प्र0।
18. समस्त कारागार अधीक्षक, 30प्र0।
19. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, 30प्र0।
20. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, 30प्र0।

पत्रांक :- गोपन/वां0गो0प्रवि0/ले0-2 से 3/2017/1069 लखनऊ, दिनांक 26 सितम्बर 2017  
विषय :- प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को लेवल-2 से लेवल-3 में पदोन्नति पर विचार किये जाने हेतु संलग्न सूची में दर्शाये गये चिकित्साधिकारियों की अंकित वर्ष 2016-17 समेत अन्य वांछित वर्षों की गोपनीय प्रविष्टियों को तत्काल उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-758/चि0-3-17-88रिट/2016  
दिनांक-20.07.2017, शासन के पत्र संख्या-2398/चि0-3-17-जी0-72/2016 दिनांक-11.

08.2017 एवं शासन के पत्र संख्या-2727/चि0-3-17-जी0-72/2016 दिनांक-05.09.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत लेवल-2 चिकित्साधिकारियों की लेवल-3 में वर्तमान में रिक्त चल रहें पदों के सापेक्ष अर्ह चिकित्साधिकारियों की अपूर्ण वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराते हुये पदोन्नति का प्रस्ताव शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही निर्देशित किया गया है कि किसी भी चिकित्साधिकारी की पदोन्नति यदि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अभाव में नहीं होती है और विभाग के समक्ष कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो संबंधित नियंत्रक अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

शासन द्वारा प्राप्त उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में लेवल-2 से लेवल-3 में प्रोन्नति हेतु अर्ह क्रमांक-1 से 742 एवं विगत 10 वर्षों की कोई भी गोपनीय प्रविष्टि उपलब्ध नहीं होने से संबंधित क्रमांक-1 से 85 तक अलग-अलग 02 सूची निर्मित की गयी हैं। उपरोक्त चि0अ0 की संलग्न सूचियों में सेवा विवरण यथा- वरिष्ठता क्रमांक, चि0अ0 का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, नियुक्ति व योगदान तिथि का अंकन करते हुये कालम-9 में वांछित गोपनीय प्रविष्टियों के वर्ष का अंकन कर दिया गया है, को आपके पास इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि सेवा विवरण के आधार पर अपने-अपने अधीन कार्यरत की पुष्टि करते हुये इन चिकित्साधिकारियों की पूर्व में अंकित की गई वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों की मूल/ छायाप्रतियों को प्रमाणित कर मण्डलीय अपर निदेशक अथवा संबंधित स्वीकर्ता अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महानिदेशालय को 07 दिवस के भीतर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रविष्टि अंकित करते समय निम्न तथ्य अवश्य स्मरण रखें :-

3. यदि किसी चिकित्साधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को सेवा अभिलेखों के आधार पर पुनर्गठित किया जाता है तो ऐसे चिकित्साधिकारियों की प्रविष्टियां लिखने से पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी से निर्धारित प्रपत्र पर उनके द्वारा संबंधित वर्ष में किये गये कार्यों का मूल्यांकन प्राप्त कर लिया जाय तदोपरांत उनके तत्समय के मूल तैनाती स्थान के चिकित्सा अधीक्षक/ उप मुख्य चिकित्साधिकारी से संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा की गई कार्य अवधि का सत्यापन अवश्य करा लिया जाय कि उक्त स्थान से इनका वेतन आहरित किया गया है अथवा नहीं तथा उक्त तथ्य की पुष्टि सेवा पुस्तिका से भी अवश्य कर ली जाय तत्पश्चात् उसका अंकन मूल्यांकन कालम के समक्ष किया जाय, तदोपरांत ही पुनर्गठित प्रविष्टि पर उक्त वर्ष की सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर प्रेषित किया जाय।

4. यदि सूची में अंकित कोई चिकित्साधिकारी उल्लिखित कार्य अवधि में अनुपस्थित रहा हो अथवा स्वयं के व्यय पर स्नातकोत्तर अध्ययनरत रहा हो तो उसकी अनुपस्थिति अवधि का उल्लेख चरित्र पंजिका में कर दिया जाय।

5. वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां निर्धारित 02 पृष्ठीय प्रारूप पर दिये गये विवरण को पूर्ण रूप से भरकर उपलब्ध करायी जाये, अन्य किसी भी प्रारूप पर उपलब्ध करायी गयी प्रविष्टि स्वीकार नहीं होगी। प्रारूप में प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकर्ता अधिकारी के दिये गये सभी कालमों को पूर्ण कर यथास्थान नाम, हस्ताक्षर व मोहर का अंकन करते हुये तिथि भी अवश्य अंकित की जाय।


6. संभव है कि सूची में अंकित अनेक चिकित्साधिकारी, जो पूर्व में आपके अधीन कार्यरत रहें हों तथा कालम-9 में अपेक्षित तत्समय की प्रविष्टियां उस कार्य स्थल से संबंधित हैं, वर्तमान में यह चिकित्साधिकारी अन्य जनपद में स्थानांतरित हो गये हों, अतः संलग्न दोनों सूची में चिकित्साधिकारियों के वरिष्ठता क्रमांक, नाम, पिता का नाम आदि सेवा विवरण की पुष्टि करते हुये ऐसे चिकित्साधिकारियों की उल्लिखित वर्षों में अपने-अपने अधीन तैनाती की पुष्टि करते हुये उक्त अवधि की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां संबंधित जनपद/ मण्डल से नियमानुसार उपलब्ध करायी जाये।



7. सूची में अंकित जिन चिकित्साधिकारियों के संबंध में अनुशासनिक, विभागीय कार्यवाही, कोर्टकेस, सतर्कता जांच, निलम्बन, अभियोजन स्वीकृति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, मृत्यु, त्याग पत्र स्वीकृत, सेवा समाप्त, अनाधिकृत अनुपस्थित, सेवा व्यवधान आदि की स्थिति विद्यमान हो, की सूचना भी उपलब्ध करा दी जाय।

उपरोक्त प्रकरण सीधे शासन के आदेशों से आच्छादित है, जिसमें समयबद्धता अत्यंत आवश्यक है। अतः इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोक्त(सूची)।

भवदीय  



(डा० पूजा पाण्डेय)  
निदेशक (प्रशासन)

पत्रांक :- गोपन/वां०गो०प्रवि०/ले०-2 से 3/2017/

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभारी कम्प्यूटर इंचार्ज, स्वास्थ्य भवन लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूची (सी०डी०) संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत सूची को पत्र में उल्लिखित समस्त परिधिगत अधिकारियों को उनके कार्यालय के ई-मेल पत्तों पर तत्काल आज ही अपलोड कराते हुये विभागीय वेबसाइट [www.uphealth.up.nic.in](http://www.uphealth.up.nic.in) पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
2. श्री ए० के० रावत, तकनीकी सहायक, योजना भवन लखनऊ।
3. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-3 को शासन के उपांकित शासकीय पत्र दिनांक-20.07.2017, 11.08.2017 एवं 05.09.2017 के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संबंधित चि०अ० की अपूर्ण वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां परिधिगत अधिकारियों से प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव में समावेश करते हुये पदोन्नति का प्रस्ताव शासन को यथासमय शीघ्र प्रेषित किये जायेंगे।

  
(राजीव बंसवाल)  
संयुक्त निदेशक (गोपन)